CNR-UPLL010006532025

न्यायालय, अपर जिला एवं सत्र/विशेष न्यायाधीश (द०प्र०क्षे०), ललितपुर।

पीठासीन अधिकारी- (सुनील सिंह)

(उच्चतर न्यायिक सेवा) - UP 6456

दीवानी पुनरीक्षण संख्या -03/2025

धर्म सिंह आयु करीब 55 वर्ष पुत्र श्री वीर सिंह, मूल निवासी ग्राम सतवांसा, तहसील महरौनी, हाल निवासी आजादपुरा, जिला ललितपुर।

.....निगरानीकर्ता।

बनाम

1. श्रीमती रीता जैन उम्र करीब 56 वर्ष पत्नी स्व० श्री राजीव कुमार जैन,
2. राहुल जैन उम्र करीब 34 वर्ष पुत्र श्री स्व० श्री राजीव कुमार जैन,
3. संजीव कुमार जैन उम्र करीब 55 वर्ष पुत्र स्व० श्री निर्मल कुमार जैन,
4. सतीश कुमार जैन उम्र करीब 52 वर्ष पुत्र स्व० श्री निर्मल कुमार जैन,
5. श्रीमती अनुपमा जैन उम्र करीब 50 वर्ष पत्नी श्री सतीश कुमार जैन,
समस्त निवासीगण सिविल लाइन, ललितपुर, हाल निवासी पारसनाथ कॉलोनी, आजादपुरा, जिला ललितपुर,
6. मनोज कुमार जैन उम्र करीब 60 वर्ष पुत्र स्व० श्री रूप चंद जैन, निवासी डेम रोड, आजादपुरा, ललितपुर।

.....रेस्पोन्डेन्टस्।

निगरानी अन्तर्गत धारा 115 जा०दी०

निर्णय

1. वर्तमान दीवानी निगरानी विद्वान विचारण न्यायालय, सिविल जज (सी०डि०) ललितपुर द्वारा सिविल वाद संख्या 207/2024 (148/1998) धर्म सिंह बनाम निर्मल कुमार आदि में पारित आदेश दिनांकित 22.01.2025, जिसके द्वारा वादी का संशोधन प्रार्थना पत्र 114A1 निरस्त कर दिया, से क्षुब्ध होकर निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत की गयी है।

2. संक्षेप में निगरानी के आधार इस प्रकार हैं कि प्रश्नगत आदेश पूर्ण रूपेण अवैध, अनाधिकृत, गलत एवं विधि के प्रतिपादित सिद्धांतो के विपरीत है। विद्वान विचारण न्यायालय ने प्रश्नगत आदेश पारित करने में सारवान गलती एवं भूल की है। विद्वान विचारण न्यायालय ने बिना पत्रावली का अबलोकन किये प्रश्नगत आदेश पारित किया है, जो विधि विरुद्ध है। मूल वाद में प्रतिवादीगण द्वारा दौरान मुकदमा वादग्रस्त सम्पत्ति पर किये गए निर्माण का निरीक्षण वादी द्वारा अमीन अदालत द्वारा कराया गया था। अमीन आख्या मय नक्शा पत्रावली पर पेपर सं० 113A2/1 मौजूद थी, लेकिन विद्वान विचारण न्यायालय ने इसके विपरीत निष्कर्ष देकर महान कानूनी भूल की है। विद्वान विचारण न्यायालय का यह निष्कर्ष कि यदि प्रतिवादीगण द्वारा नव निर्माण दौरान मुकदमा किया गया है तो वादी मौके का मुआयना कराकर वस्तु स्थिति स्पस्ट कर सकता था किन्तु उसके द्वारा इस वावत कोई कार्यवाही नही की गयी पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के विपरीत है एवं प्रश्नगत आदेश विधि

Digitally signed by SUNIL SINGH
Date: 2026.03.26 14:08:16 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

सम्मत नही है। विद्वान विचारण न्यायालय का यह मत कि वादी के आचरण से यह दर्शित होता है कि प्रतिवादी गण द्वारा कोई निर्माण नहीं किया गया अथवा कथित निर्माण वाद योजित करने से पूर्व का ही है, पूर्ण रूपेण गलत है। विद्वान विचारण न्यायालय का यह मत कि वादी द्वारा अपने प्रार्थनापत्र में प्रतिवादीगण द्वारा वादग्रस्त सम्पत्ति पर किये गए निर्माण के वावत यह तथ्य अंकित नहीं किया है कि कथित निर्माण किस दिनांक को प्रतिवादगण द्वारा किया गया है और न ही इस वावत कोई अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत किया है, पूर्ण रूपेण गलत है एवं विधि सम्मत नही है। विद्वान विचारण न्यायालय का यह मत कि यदि अस्थायी निषेधाज्ञा का आदेश प्रभावी रहने के दौरान प्रतिवादीगण द्वारा कथित निर्माण किया गया है, तो वादी द्वारा न्यायालय को सूचित क्यों नहीं किया गया अथवा प्रार्थनापत्र अंतर्गत आदेश 39 नियम 2 (A) जा० दी० न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत क्यों नहीं किया गया, पूर्ण रूपेण गलत है एवं विधि सम्मत नहीं है। विद्वान विचारण न्यायालय ने पूर्व से पत्रावली पर उपस्थित मौके की कमीशन आख्या एवं दौरान मुकदमा प्रतिवादी गण द्वारा किये गए कथित निर्माण की मौके की आख्या को अनदेखा करते हुए प्रश्नगत आदेश पारित किया है, जो स्थिर रहने योग्य नहीं है। हरगिज वादग्रस्त कथित निर्माण डबल-मंजिल मकान वाद दायर करने के पूर्व से नहीं है। प्रश्नगत आदेश के विरुद्ध यह प्रथम निगरानी है तथा अन्य किसी न्यायालय में अथवा सम्मानीय उच्च न्यायालय इलाहबाद में प्रश्नगत आदेश के विरुद्ध न तो कोई निगरानी दायर की गई है और न ही विचाराधीन है।

अतः निगरानीकर्ता/वादी द्वारा उसकी निगरानी स्वीकार की जाकर प्रश्नगत आदेश दिनांकित 22-01-2025 अपास्त किया जाकर संशोधन प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने की याचना की गई।

3. निगरानीकर्ता द्वारा उक्त दीवानी निगरानी प्रार्थना पत्र के साथ उपरोक्त आलोच्य आदेश एवं फॉर्मल आदेश दिनांकित 22.01.2025 क्रमशः का०सं० 7सी1/3, 7सी1/5 तथा अन्य अभिलेखीय साक्ष्य के रूप में का०सं० 7सी1/1 लगायत 14 प्रमाणित प्रति प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 39 नियम 2-ए, अमीन रिपोर्ट, आपत्ति पत्र दिनांकित 09.01.2025, कमीशन रिपोर्ट आदि पत्रावली में दाखिल किये गये हैं।

4. संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार हैं कि वादी द्वारा एक किता प्रार्थनापत्र कागज सं० 114A1 वास्ते संशोधन विचारण न्यायालय में इस आशय का दाखिल किया गया था कि दौरान मुकदमा प्रतिवादी सं० 1, 2 व 2/1 ने अपने जीवनकाल में एवं प्रतिवादी सं० 2/2, 2/3 व प्रतिवादी सं० 3 एवं 4 ने न्यायालय द्वारा पारित अस्थायी निषेधाज्ञा का आदेश दिनांकित 28.05.1998 का जानबूझकर उल्लंघन करते हुए वादी के प्रश्नगत प्लाट को कवर करते हुए एवं बिना किसी अधिकार के तथा अनाधिकृत रूप से दो मंजिल भवन का निर्माण कर लिया है। ऐसे वादी के प्लाट पर हुए अवैध निर्माण को ध्वस्त कराकर वादी अपने वादग्रस्त प्लाट का प्रतिवादीगण से कब्जा दखल प्राप्त कर पाने का अधिकारी है, जिस हेतु वादपत्र में संशोधन की याचना की गयी थी।

रेस्पोडेन्ट्स की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया कि विचारण न्यायालय द्वारा उक्त आलोच्य आदेश पारित करते समय अपने निहित क्षेत्राधिकारों का एवं अपने विवेकाधिकार का सही उपयोग करते हुए विधि सम्मत आदेश पारित किया गया है, जिसमें कोई विधिक अथवा प्रक्रियात्मक त्रुटि कारित नहीं हुई है।

5. रेस्पोडेन्टस द्वारा यह भी कहा गया है कि वादग्रस्त सम्पत्ति पर प्रतिवादीजन का निर्माण वाद दायर करने से पूर्व से ही था। इस कारण चाहा गया संशोधन समय बाह्य है

तथा उनके द्वारा कोई अस्थायी निषेधाज्ञा का कोई उल्लंघन नहीं किया गया है और न ही कोई निर्माण किया गया है, अस्थायी निषेधाज्ञा हेतु वादग्रस्त सम्पत्ति का बाजारी मूल्य 20,000 रुपये कहा गया है, जबकि स्थायी निषेधाज्ञा को मिलाकर 40 लाख रुपये हो जाता है, इसके संबंध में कोई संशोधन नहीं चाहा है। ऐसी परिस्थिति में निगरानी पोषणीय नहीं है।

सुना तथा पत्रावली का सम्यक अवलोकन किया गया।

6. पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा संशोधन प्रार्थना पत्र का० सं० 114A1 पर पारित आदेश दिनांकित 22.01.2025 जिसको उनके द्वारा निरस्त किया गया। इस न्यायालय को मात्र यह देखना है कि आलोच्य आदेश में क्या विधिक त्रुटि कारित की गयी है। उक्त आलोच्य आदेश में विचारण न्यायालय द्वारा यह निष्कर्ष दिया है कि वादी के प्रार्थना पत्र में प्रतिवादीगण द्वारा वादग्रस्त सम्पत्ति पर किये गये निर्माण के बावत यह तथ्य अंकित नहीं किया है कि कथित निर्माण किस दिनांक को प्रतिवादीगण द्वारा किया गया है।

7. मूल वाद दिनांक 28.05.1998 को दायर किया गया था और न्यायालय द्वारा एडवोकेट कमीशन जारी किया गया था, जिसमें अपनी आख्या दिनांक 31.05.1998 को प्रस्तुत की थी, परन्तु वादी/निगरानीकर्ता द्वारा उक्त कमीशन के आलोक में कोई संशोधन प्रार्थना पत्र समय रहते प्रस्तुत नहीं किया है। वादी द्वारा संशोधन प्रार्थना पत्र वाद दायर होने के कई वर्ष बाद दिनांक 03.01.2025 को प्रस्तुत किया है, जो काफी विलम्ब से है तथा वादी द्वारा जो तथ्य संशोधन द्वारा वाद पत्र में लाना चाहता है, वह निमार्ण दौरान वाद किया गया है अथवा वाद दायर करने से पूर्व किया गया है। जबकि वहाँ स्थायी निषेधाज्ञा का आदेश प्रभावी था। विचारण न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह भी विदित हो रहा है कि न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांकित 28.05.1998 के द्वारा विपक्षीगण को विवादित आराजी सं० 1854 रकवा 0.04 डि० पर वादी के अध्यासन एवं स्वामित्व में किसी प्रकार का हस्तक्षेप या विघ्न डालने की नियत से दिनांक 08.07.1997 तक निरुद्ध किया जाता है। वादी द्वारा प्रस्तुत अपना प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 6 नियम 17 सीपीसी में कहीं भी यह उल्लेख नहीं किया है कि उक्त निर्माण किस तारीख को किया गया है और वह न्यायालय द्वारा पारित अस्थायी निषेधाज्ञा का आदेश दिनांकित 28.05.1998 का जानबूझकर उल्लंघन कर रहा है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि पत्रावली में दिनांक 24.04.2023 को वाद बिन्दु विरचित किये गये हैं एवं पत्रावली विचारण में नियत है।

आदेश 6 नियम 17 सीपीसी में यह उल्लिखित है कि **अभिवचनों का संशोधन-**

*न्यायालय कार्यवाहीयों के किसी भी प्रक्रम पर, किसी भी पक्षकार से और से निबंधनों पर जो न्यायसंगत हों, अपने अभिवचनों को परिवर्तित या संशोधित करने के लिये अनुज्ञात कर सकेगा और वे सभी संशोधन किये जाएंगे, जो दोनों पक्षकारों के बीच विवाद के वास्तविक प्रश्नों के अवधारण के प्रयोजनों के लिये आवश्यक हों:, **परन्तु** विचारण प्रारंभ होने के पश्चात संशोधन के लिये किसी आवेदन को तब तक अनुज्ञात नहीं किया जायेगा, तब तक कि न्यायालय इस निर्णय पर न पहुँचे कि सम्यक तत्परता बरतने पर भी वह पक्षकार, विचारण प्रारंभ होने से पूर्व वह विषय नहीं उठा सकता था।*

8. आदेश 6 नियम 17 सीपीसी के तहत यदि पत्रावली में विचारण प्रारंभ हो जाता है तो पक्षकार को यह बताना पड़ेगा कि क्या परिस्थितियां रहीं, जो उनके द्वारा समय से संशोधन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया और वादी द्वारा विशिष्ट तारीख का उल्लेख नहीं

किया गया है, जो अति आवश्यक है। जिससे यह स्थिति स्पष्ट हो सके कि कथित निर्माण किस दिनांक में प्रारंभ हुआ है, और अस्थायी निषेधाज्ञा का उल्लंघन हुआ है। क्योंकि यदि संशोधन प्रार्थना पत्र स्वीकृत होता है तो उसे दावा दायर करने की दिनांक से ही लागू माना जाता है। उसके द्वारा यह भी नहीं बताया गया है कि उक्त प्रार्थना पत्र समय से क्यों नहीं प्रस्तुत किया गया, जिसका कोई संतोषपूर्वक जबाव नहीं दिया गया है। यदि संशोधन प्रार्थना पत्र स्वीकार हो जाता है तो वाद की प्रकृति में बदलाव आने की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता एवं वाद में जटिलताएं उत्पन्न होंगी। ऐसी परिस्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि अनुसार न्यायिक विवेक का प्रयोग करते हुए किया गया है। मामला सन् 1998 का है और उनके द्वारा यह प्रार्थना पत्र सन् 2023 में प्रस्तुत किया गया है। ऐसा प्रतीत होता कि उक्त प्रार्थना पत्र वाद के निस्तारण मे विलम्ब कारित करने हेतु दिया गया है। ऐसी परिस्थिति में दीवानी निगरानी स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है।

9. अतः उपरोक्तानुसार विचारण न्यायालय द्वारा किये गये विश्लेषण के आधार पर अभिवचनों एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य से जो निष्कर्ष निकाला गया है, वह विधिसम्मत एवं न्यायिक मस्तिष्क का प्रयोग करते हुए निकाला गया है। विचारण न्यायालय द्वारा निर्णय पारित करते समय अपने निहित क्षेत्राधिकारों का प्रयोग करते हुए आदेश विधि सम्मत आदेश पारित किया गया है। अपने विवेकाधिकार का सही उपयोग किया गया है। आदेश में ऐसी कोई विधिक अथवा प्रक्रियात्मक त्रुटि परिलक्षित नहीं होती है जिसमें निगरानी न्यायालय के हस्तक्षेप की आवश्यकता हो। अतः विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधिपूर्ण होने के कारण पुष्ट होने योग्य है तथा वादी/निगरानीकर्ता द्वारा योजित दीवानी निगरानी निरस्त किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

विद्वान न्यायालय सिविल जज (सी.डि.) ललितपुर द्वारा सिविल वाद संख्या 207/2024, धर्म सिंह बनाम निर्मल कुमार आदि में प्रस्तुत संशोधन प्रार्थना पत्र 114A1 के सापेक्ष पारित आलोच्य आदेश दिनांकित 22.01.2025 पुष्ट किया जाता है। दीवानी निगरानी निरस्त की जाती है। पक्षकारो को आदेशित किया जाता है कि वे नियत दिनांक 30.03.2026 को विचारण न्यायालय में उपस्थित होकर वाद की कार्यवाही में उपस्थित हों। विचारण न्यायालय की पत्रावली अविलम्ब प्रेषित की जाये।

दिनांक **19.03.2026**

(सुनील सिंह)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश (द०प्र०क्षे०)
ललितपुर।

निर्णय उपरोक्त आज मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षर एवं दिनांकित कर उदघोषित किया गया।

दिनांक **19.03.2026**

(सुनील सिंह)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश (द०प्र०क्षे०)
ललितपुर।